

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, धमतरी वनमण्डल, धमतरी (छत्तासगढ़)

☎ 07722-238371(O), 236137(Fax), E-mail – dfo-dhamtari.cg@gov.in

धमतरी, दिनांक: 02/02/2022

क्रमांक/मा.चि./जी./ 764

प्रति,

कार्यपालन अभियंता

लोक निर्माण विभाग धमतरी

संभाग-धमतरी (छ.ग.)

विषय :- वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत मेघा-सिंगपुर-दुगली मार्ग चौड़ीकरण कार्य लंबाई 23.715 किमी. प्रस्तावित किये जाने बाबत।

संदर्भ :- आपका ज्ञाप क्रमांक/427/शिल्प 22/वन विभाग दिनांक 29.01.2022

⊗ ⊗ ⊗

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से आपके द्वारा धमतरी जिला के मेघा-सिंगपुर-दुगली मार्ग चौड़ीकरण कार्य लंबाई 23.715 किमी. का डीजीपीएस सर्वे रिपोर्ट की दो प्रति वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत ऑनलाईन पंजीयन के लिये सत्यापन हेतु इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतः प्रस्तुत डीजीपीएस सर्वे रिपोर्ट का सत्यापन उपरांत 1 प्रति मूलतः आपको वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत प्रस्ताव का ऑनलाईन पंजीयन की कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :- सत्यापित डीजीपीएस सर्वे 01 प्रति में।

वनमंडलाधिकारी  
धमतरी वनमंडल, धमतरी